डरने की जरूरत नही ।

मित्रों नमस्कार 15.10.2014

मेरे यह समझ मे नही आ रहा है कि आप लोग लोगों को क्या शिक्षा देते होगें । जब आप सही और गलत को समझ नही पाते हो । जब आपको मालूम है कि फीस कमेटी गलत ऑकडे प्रस्तुत कर रही है तो भी आप फीस कमेटी के हर ऑकडे पर विश्वास कर फोन कर देते हो । अब क्या करे ।

यदि आपको डर लग रहा है और लगता है कि पोर्टल भरने से आपका स्कूल चल जायेगा तो भर दीजिए –

लेकिन इन ऑकडो पर गौर जरूर कीजिए –

1. राजस्थान मे शिक्षा विभाग की वेबसाईट पर 2013 तक मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 43988 बता रखी है ।
2. 2012 मे आरटीई पोर्टल पर 37500 स्कूलों ने पंजीकरण करवाया था
3. इस वर्ष केवल 32000 के करीब स्कूलों ने ही पोर्टल पर पंजीकरण करवाया तो क्या बाकी स्कूल – स्कूल नही । क्या उनकी फीस तय नही होगी ? ?
4. 14.10.2014 तक 19748 ने लॉक किया था जो कि 10.10.14 के 18248 ऑकडे से 1500 ज्यादा हुआ । तो डरने की क्या बात है ।
5. रही बात आज की अखबार की खबर की तो – फीस कमेटी के अनुसार 5000 के करीब स्कूलों ने सहमति भी दे दी एक दिन मे क्योकि 14.10.2014 को तो फीस कमेटी ने ऐसा नही लिखा था।

6. यदि केवल पॉच हजार स्कूल ही बचे है तो पोर्टल क्यों चालु रख रखा है फीस कमेटी ने ?
7. डरपोक लोगों की कोई सहायता नही कर सकता । सरकार भी यह जानती है इसीलिए पोर्टल को चालू रखे हुए है ।

हम उन लोगों को गारन्टी देते है जो हमारे साथ है अर्थात पोर्टल नही भर रहे है । कि उनका कोई कानून कुछ नही बिगाड सकता । फीस कमेटी जिस कोर्ट की बात आज कह रही है उसके बारे मे मैने आपको 9.10.14 को ही बता दिया था । फिर भी आप डर रहे है तो डरे ।

हमने उस कोर्ट मे केवियट लगा दी है जिसमे फीस कमेटी सूची पेश करेगी । अर्थात वह कोर्ट हमे सुने बिना फीस कमेटी को कोई निर्णय नही देगा । तो डरने की बात ही नही । भरने का चॉस तो आपको कोर्ट भी दे देगा ।

रही बात नुकसान की तो जिन्होने भरा है यदि उनके साथ फीस कमेटी न्याय करती है तो हम भी भर देगें । यदि अन्याय करती है तो वे भी आपके साथ आ जायेगे । ओर हमे अपनी कागजी कार्यवाही का मौका भी मिल जायेगा ।

अत : नही भरने वाले का तो फायदा ही है । बाकी आपकी मर्जी

अनिल शर्मा

Shikshaparivar.com
A Portal With Education Portal